208

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर उप कार्यालय रीवा (म.प्र)

हीरालाल तनय विशाले वानी ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र)——————————————निगरानी कर्ता/आवेदक

बनाम

(1) धीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय अवध प्रताप सिंह

(2) शम्भूमणि अग्निहोत्री पिता देवशरण अग्निहोत्री

(3) श्री मती कमला देवी पति गौतम मणि अग्निहोत्री

सभी निवासी ग्राम झलवार तहसील एवं थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)

(4) म.प्र. शासन ——————————————— अनावेदक गण/उत्तरार्थीगण

अधिवक्ता श्री अंजनी सोनी द्वारा प्रस्तुत 22/2/2012

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला सीधी के **रा0प्र0क्र0541/निग0/2008—09** आदेश दिनांक **31.12.2011**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है।

1. यह कि वादित आराजी ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी में स्थित है,जिसका खसरा नम्बर514 एवं 534 है जिसका रकवा क्रमशः1.30 हे0 एवं 0.04 हे0 के भूमिस्वामी निगरानी कर्ता है उसी से लगी भूमि पूर्व भूमिस्वामी अना0 क्र0 1की है जिन्होने अपने स्वामित्व की भूमि का विक्रय अनावेदक क्र0 2 व 3 के पक्ष में रकवा लगभग 60—65 डिसमिल का निस्पादन जरिये रजिस्टर्ड पत्र कर चुका है वादित आराजी जो अनावेदक क्र0 2 व 3 के द्वारा क्रय किया गया है उसका सीमांकन अधिनस्थ न्यायालय श्री मान तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कराया गया सीमांकन के दौरान विना सीमा चिन्ह व उपकरणों का सहारा लिये किया गया सीमांकन के दौरान निगरानी कर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी नं. 514 के अंश भाग रकवा लगभग 50 डिसमिल पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में प्रभावित कर दिया गया तत्समय पटवारी हल्का एवं रा0नि0 के समक्ष मौखिक आपत्ति जाहिर की गयी, इसी तरह आ0नम्बर 534 के पूरे रकवे की सीमांकन कार्यवाही के दौरान प्रभावित कर दिया गया । मौखिक आपत्ति पर पटवारी हल्का एवं रा0नि0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति जाहिर करने

XXXIX(a)-BR(H)-11

101

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1359-I / 12** जिला–सीधी

हीरालाल बानी / धीरेन्द्र प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 541 / निग0 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	